कार्यालयः अध्यक्ष रद्दी नीलामी कमेटी, जिला एवं सेशन न्यायालय, जयपुर महानगर–प्रथम

क्रमांक : रद्दी / नीलामी / 2023 / 334   दिनांक :– 10/10/2023

:: रद्दी नीलामी सूचना ::

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि जिला एवं सेशन न्यायालय, जयपुर महानगर–प्रथम के अभिलेखागार व सांगानेर न्यायालय स्थित अभिलेखागार को शामिल करते हुए वित्त–वर्ष 2023–24 के दौरान तलफशुदा पत्रावलियों व अखबार की रद्दी तादादी अनुमानित मात्रा 100 क्विंटल की नीलामी हेतु सीलबंद नीलामी दरें आमंत्रित की जाती हैं जिसके अंतर्गत सीलबंद दरें दिनांक 30.10.2023 को जिला एवं सेशन न्यायालय, जयपुर महानगर–प्रथम की अभिलेखागार शाखा में दोपहर 3:00 बजे तक प्रस्तुत की जा सकेंगी जो नीलामी कमेटी द्वारा उसी दिन अपरान्ह 4:30 बजे उपस्थित बोलीदाताओं के समक्ष खोली जावेगी। नीलामी के नियम एवं शर्तें किसी भी कार्य दिवस को इस कार्यालय में एवं न्यायालय की वेबसाईट https://jaipurmetro1.dcourts.gov.in पर तथा राज्य सरकार की वेबसाईट http://sppp.raj.nic.in पर देखी जा सकती है।

–:: नीलामी के नियम व शर्तें ::–

1. रद्दी की नीलामी दरें प्रस्तुत करने वालों को अपनी दरें फर्म के लैटर पैड अथवा सादा कागज़ पर प्रति किलोग्राम की दर से लिखकर देनी होगी। रद्दी की नीलामी दरें स्पष्ट अक्षरों में लिखनी होगी। नीलामी दरों में कोई कांट–छांट नहीं होनी चाहिये। अमानत राशि रूपये 4000/– नीलामी दरों के साथ नकद जमा कराने होंगे। अमानता राशि जमा नहीं कराने वाली फर्म बोली में भाग नहीं ले सकेगी।
2. नीलामी तिथि स्थगित करने अथवा प्राप्त बोली को स्वीकार/अस्वीकार करने का पूर्ण अधिकार रद्दी नीलामी कमेटी को होगा।
3. अधिकतम राशि की नीलामी दर देने वाले के नाम नीलामी छोड़ना या नहीं छोड़ना तथा नीलामी दर को मंजूर या नामंजूर करने का अधिकार नीलामी कमेटी का होगा।
4. नीलामी हेतु उपयुक्त बोली प्राप्त नहीं होने पर उपस्थित बोली–दाताओं से खुली बोली भी लगवाई जा सकती है।
5. नीलामी दर स्वीकृत होने के तुरन्त बाद रूपये 10,000/–(अक्षरे दस हजार रूपये मात्र) स्वीकृत बोली–दाता द्वारा धरोहर राशि के रूप में अग्रिम जमा करवाये जायेंगे जिन्हें अंत में रद्दी की कीमत में समायोजित कर लिया जायेगा। नीलामी दर मंजूर होने के बाद स्वीकृत बोली–दाता को रद्दी 15 दिन के भीतर अपने खर्चे से भरकर, उठाकर, तुलवाकर ले जानी होगी तत्पश्चात् वित्त वर्ष के दौरान समय समय पर इकट्ठी होने वाली रद्दी को बोली–दाता को सूचित करने के सात दिवस में निर्धारित राशि जमा करवाकर उठानी होगी अन्यथा जमाशुदा धरोहर राशि जब्त सरकार कर ली जायेगी।
6. धडी/मीटर कांटे से रद्दी की तोल नहीं करवाई जावेगी। रद्दी की तुलाई धर्मकांटे से करवाई जावेगी। समस्त व्यय स्वीकृत बोली–दाता द्वारा ही वहन किये जायेंगे।
7. जिन बोली–दाताओं की नीलामी दरें स्वीकार नहीं होगी, उनके द्वारा जमा कराई गई राशि रू0 4000/–तुरन्त लौटा दी जावेगी। सफल बोली–दाता की अमानत राशि को धरोहर राशि में समायोजित करते हुए शेष राशि 6,000/– रूपये प्राप्त किये जावेंगे।
8. किसी भी विवाद की स्थिति में रद्दी नीलामी कमेटी का निर्णय अंतिम होगा।

sd
अध्यक्ष
रद्दी नीलामी कमेटी एवं
अपर जिला एवं सेशन न्यायालय, क्रम–3
जयपुर महानगर–प्रथम

क्रमांक : रद्दी /नीलामी / 2023 / 338   दिनांक :– 10/10/2023

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. माननीय जिला एवं सेशन न्यायाधीश महोदय, जयपुर महानगर–प्रथम।
2. प्रभारी अधिकारी, लेखा शाखा, जिला एवं सेशन न्यायालय, जयपुर महानगर–प्रथम को राज्य सरकार की वेबसाईट पर अपलोड करने बाबत्।
3. नोटिस बोर्ड, जिला एवं सेशन न्यायालय, जयपुर महानगर–प्रथम/न्यायालय परिसर की प्रत्येक मंजिल के प्रत्येक ब्लॉक में दर्शनीय स्थल पर चस्पा हेतु।
4. श्री अंकुर शर्मा, सिस्टम अधिकारी को जिला न्यायालय, जयपुर महानगर–प्रथम की वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।

अध्यक्ष
रद्दी नीलामी कमेटी एवं
अपर जिला एवं सेशन न्यायालय, क्रम–3
जयपुर महानगर–प्रथम